समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाँका जिलान्तर्गत निम्नांकित श्रावणी मेला सैरातों की वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बन्दोवस्ती हेतु आम डाक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में दिनांक– 18.06.2018 को अपराह्न 3.00 बजे में की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक– 20.06.2018 को डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नही हो पायी तो दिनांक– 22.06.2018 को निर्धारित स्थान एवं समय पर डाक की जायेगी। विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा मे किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर एवं जिला के वेबसाईट http:\\ banka.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता हैं।

सैरात का विवरण

क्र0 सं0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि (सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत)	अंचल का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रावणी मेला जिलेबियामोड़	01,41,680/-	14,168/-	बेलहर
2	श्रावणी मेला लुल्हा	01,84,026/-	18,403/-	बेलहर

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जिला नजारत शाखा, बाँका में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाकवक्ता को उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
2. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. उच्चतम डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती की जायेगी।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं निबंधन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क, डाक समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।
5. उच्चतम डाकवक्ता को बन्दोवस्ती के पश्चात् एकरारनामा का निबंधन करना होगा अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी सैरात का डाकवक्ता या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई–भतीजा को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
7. वर्त्तमान में जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए डाक की जायेगी और ग्राउण्ड रेट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायेगी।

8. मेले की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई एव पानी की व्यवस्था करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। मेले में किसी की प्रकार की राजनीतिक सभा नहीं की जायेगी। मेले में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नही किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। बट्टी वसूली छपाई रसीद पर की जायेगी। किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा मेले में अस्थायी / स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं किया जायेगा। इसकी जवाबदेही लेसी की होगी।

9. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में मेला के लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे मेले में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद–बिक्री नहीं होने दे साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

समाहर्त्ता
बाँका